



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-1603/CG/179/2024-RO-RPR (RU-I)

दिनांक: 03.06.2025

श्री मनोज कुमार पिंगुआ,
अपर मुख्य सचिव,
गृह एवं जेल विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492015

श्री रजत कुमार,
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492015

सुश्री रेना जमील,
सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,
नया रायपुर, अटल नगर,
रायपुर-492002, छत्तीसगढ़

श्री अरूण देव गौतम,
पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय रायपुर,
रायपुर-492001
छत्तीसगढ़
ई-मेल: dgp.chhattisgarh@yahoo.co.in

विषय: अभ्यावेदक श्री सुरेश कुमार (हल्बा) पिता - श्री शिवलोचन चौरका, ग्राम व पोस्ट - चिपरा तह. - डौण्डी, जिला - बालोद (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "सुबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती 2024 में अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों की न्यूनतम शारीरिक आहर्ता में शिथिलता प्रदान कराने" के संबंध में।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 05.11.2024 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 17.06.2025 को दोपहर पश्चात् सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(डॉ. पी. कल्याण रेड्डी)
निदेशक

E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सुरेश कुमार (हल्बा),
पिता - श्री शिवलोचन चौरका
ग्राम व पोस्ट चिपरा, तह. - डौण्डी,
जिला - बालोद (छ.ग.) 491228
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।